



उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

'विद्युत नियामक भवन'

निकट आई.एस.बी.टी., पो0ऑ0—माजरा, देहरादून—248171

PH. 0135-2641115 FAX- 2641314 Website www.uerc.gov.in E-mail- secy.uerc@gov.in

सार्वजनिक सूचना

Notice Inviting comments on the Petition filed by SLDC in the matter for seeking relaxation of one year for implementation of Intra-State ABT and Deviation Settlement Mechanism under Regulation 13 of UERC (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2017

1. विद्युत भार प्रेषण केन्द्र (SLDC) उत्तराखण्ड द्वारा राज्य में दिनांक 01.04.2018 से लागू होने वाले "उत्तराखण्ड विद्युत नियामक (विचलन व्यवस्थापन तंत्र एवं संबद्ध मामले) विनियम, 2017" [UERC (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2017] के विनियम 1(2) को शिथिल कर दिनांक 01.04.2018 के स्थान पर दिनांक 01.04.2019 अर्थात् एक वर्ष के उपरान्त लागू किये जाने विषयक याचिका उक्त विनियम के विनियम 13 के अंतर्गत आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।
2. उक्त याचिका आयोग की वेबसाईट www.uerc.gov.in पर देखी जा सकती है।
3. उक्त विषय पर सभी स्टैकहोल्डर्स से सुझाव/आपत्तियां/प्रतिवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिन्हें वे अधोहस्ताक्षरी को लिखित रूप से अथवा डाक, ई-मेल या स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 22.03.2018 से पूर्व आयोग के विचारार्थ प्रेषित कर सकते हैं अथवा सुनवाई में प्रतिभाग कर अपने विचार आयोग के समक्ष रख सकते हैं। आयोग द्वारा उक्त याचिका पर सुनवाई हेतु तिथि दिनांक 23.03.2018 को प्रातः 11:00 बजे निर्धारित की गयी है।
4. निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझावों/आपत्तियों/प्रतिवेदनों पर आदेश को अन्तिम रूप देते समय आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

सचिव